FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-I

...उपखण्ड अधिकारी.......मुकाम.....कोटा
...पूरणमल.......बनाम.....भागचंद
मुकदमा....88, 188, 53.......नं. 92 सन् 2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/8/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.24 के आदेश को रिव्यू कर प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर प्रार्थी को सुनकर नवीन आदेश प्रदान किये जाने बाबत पेश हुई। प्रार्थी/वादी पूरणमल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में अप्रार्थी वसीम अंसारी द्वारा दिनांक 29.11.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का माननी न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी को दी गई। प्रार्थी दिनांक 13.12.24 को माननीय न्यायालय में जवाब लेकर उपस्थित होने पर जानकारी हुयी कि अप्रार्थी वसीम अन्सारी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.24 को ही स्वीकार कर लिया गया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है कारण कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को सुने बिना ही आदेश प्रदान किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र सुनकर ही आदेश प्रदान किया जाना चाहिए था किन्तु न्यायालय द्वारा ऐसा नही करने से प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन है इस कारण दिनांक 06.12.24 का आदेश रिव्यू किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दिनांक 06.12.24 के आदेश को रिव्यू कर उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी को सुनकर नवीन आदेश प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रतिवादी वसीम अंसारी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.24 के आदेश को रिव्यू कर प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर प्रार्थी को सुनकर नवीन आदेश प्रदान किये जाने बाबत पर सीधे ही बहस की गई। प्रतिवादी वसीम अंसारी की ओर से दौराने बहस कथन किया गया है कि प्रतिवादी वसीम अंसारी द्वारा माननीय न्यायालय में ग्राम अर्जुनपुरा में स्थित खसरा नं0 639 के विभाजन बाबत एक वाद उनवान वसीम अंसारी बनाम कन्हैयालाल प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2024 को समान आराजी के सम्बंध में दो वाद जैरकार होने के कारण प्रकरण उनवान वसीम अंसारी बनाम कन्हैयालाल को पूर्व में जैरकार प्रकरण पूरणमल बनाम भागचंद के साथ कन्सोलिडेट किया गया। पूर्व से जैरकार वाद पूरणमल बनाम भागचंद में प्रतिवादी वसीम अंसारी पक्षकार नही है एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वाद वसीम अंसारी बनाम कन्हैयालाल पूर्व वाद के साथ कन्सोलिडेट किया जा चुका है जिस कारण से प्रतिवादी वसीम अंसारी प्रकरण पूरणमल बनाम भागचंद में प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार है जिस कारण से माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 स्वीकार कर दिनांक 06.12.2024 को प्रार्थी वसीम अंसारी को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है जो सर्वथा उचित एवं न्यायसंगत है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.24 के आदेश को रिव्यू कर प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर प्रार्थी को सुनकर नवीन आदेश	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रदान किये जाने बाबत खारिज फरमाया जावे। वादी की ओर से दौराने बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.24 के आदेश को रिव्यू कर प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर प्रार्थी को सुनकर नवीन आदेश प्रदान किये जाने बाबत को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। बहस पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन प्रतिवादी वसीम अंसारी की ओर से किया गये कथन उचित है कि प्रतिवादी वसीम अंसारी द्वारा न्यायालय में ग्राम अर्जुनपुरा में स्थित खसरा नं0 639 के विभाजन बाबत एक वाद उनवान वसीम अंसारी बनाम कन्हैयालाल प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2024 को समान आराजी के सम्बंध में दो वाद जैरकार होने के कारण प्रकरण उनवान वसीम अंसारी बनाम कन्हैयालाल को पूर्व में जैरकार प्रकरण पूरणमल बनाम भागचंद के साथ कन्सोलिडेट किया गया। पूर्व से जैरकार वाद पूरणमल बनाम भागचंद में प्रतिवादी वसीम अंसारी पक्षकार नही है एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वाद वसीम अंसारी बनाम कन्हैयालाल पूर्व वाद के साथ कन्सोलिडेट किया जा चुका है जिस कारण से प्रतिवादी वसीम अंसारी प्रकरण पूरणमल बनाम भागचंद में प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार है जिस कारण से न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 स्वीकार कर दिनांक 06.12.2024 को प्रार्थी वसीम अंसारी को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है जो सर्वथा उचित एवं न्यायसंगत है। वादग्रस्त आराजी में वसीम अंसारी का हक हिस्सा निहित होने से वसीम अंसारी प्रकरण में प्रभावित एवं उचित पक्षकार है एवं प्रभावित पक्षकार होने के कारण ही प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 स्वीकार किया गया है। अतः वादी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.24 के आदेश को रिव्यू कर प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर प्रार्थी को सुनकर नवीन आदेश प्रदान किये जाने बाबत सारहीन एवं औचित्यहीन तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 वास्ते दिनांक 25/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा